विचार बिन्दु

अपने नाम को कमल की तरह निष्कलंक बनाओ। –लांग फैलो

राजस्थान सरकार की विकसित राजस्थान 2047: समृद्धि की ओर सही राह

राजस्थान, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, अपनी विशाल रेगिस्तानी भूमि, ऐतिहासिक वैभव और जीवंत सांस्कृतिक धरोहर के लिए विश्व पटल पर जाना जाता है। यहां की रेत के टीले, किले, महल और लोक नृत्य-गीत न केवल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, बल्कि एक समृद्ध सभ्यता की गाथा कहते हैं। लेकिन आज भविष्य की चुनौतियों के बीच राज्य को एक विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर इकाई बनाने की अनिवार्यता है। जलवायु परिवर्तन, जल संकट, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता जैसी बाधाओं को पार करते हुए राजस्थान को नया स्वरूप देना होगा। राज्य सरकार द्वारा तैयार विकसित राजस्थान @2047 विजन डॉक्यूमेंट इसी दिशा में एक स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करता है। यह दस्तावेज कृषि, उद्योग, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है, साथ ही सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण और मानव संसाधन विकास को प्राथमिकता देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के महान सपने को साकार करने में राजस्थान अग्रणी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि यहां की युवा ऊर्जा, सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक संसाधन इसकी पूंजी हैं।

राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य महत्वाकांक्षी तो है, लेकिन सही नीतियों और दृढ़ संकल्प से प्राप्त करने योग्य भी। वर्तमान में राज्य की जीएसडीपी लगभग 15 लाख करोड़ रुपये है, जो सही दिशा में प्रयासों से कई गुना बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में तैयार इस विजन में 2030, 2035 और 2040 के मध्यावधि लक्ष्य निर्धारित हैं। चार प्रमुख थीम्स- जनकल्याण व सामाजिक सशक्तीकरण, त्वरित विकास व रोजगार सृजन, भविष्योन्मुख राजस्थान और नीति, वित्त व शासन-इसकी आधारशिला हैं। जर्मनी जैसे विकसित देशों के मानकों पर आधारित यह योजना विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को 20 प्रतिशत तक ले जाने और जीवन प्रत्याशा को 77 वर्ष करने का संकल्प लेती है। उदाहरणस्वरूप, यदि हम वर्तमान विकास दर को 8-10 प्रतिशत तक बनाए रखें, तो यह लक्ष्य साकार हो सकता है। लेकिन इसके लिए निजी क्षेत्र, प्रवासी राजस्थानियों और केंद्र सरकार के सहयोग की आवश्यकता है। राइजिंग राजस्थान समिट जैसे आयोजनों से निवेश आकर्षित कर इस दिशा में गति लाई जा सकती है।

कृषि राजस्थान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है, जहां लगभग 60 प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। लेकिन जल की कमी, मरुस्थलीकरण और अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं प्रमुख चुनौतियां हैं। सही राह जल संरक्षण से शुरू होती है। ड्रिप इरिगेशन, वर्षा जल संचयन और नहरों का आधुनिकीकरण जैसे कदम उठाकर हम उत्पादकता दोगुनी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान को पूरे राज्य में विस्तार देकर हर गांव को जल स्वावलंबी बनाना होगा। जैविक खेती को बढ़ावा देकर निर्यात योग्य फसलें जैसे बाजरा, ज्वार, मसाले और प्याज उगाई जा सकती हैं। किसानों को तकनीकी सहायता, बीमा कवरेज और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाएं। ड्रोन तकनीक से फसल निगरानी और सटीक खाद्य प्रबंधन संभव है। इससे न केवल उत्पादकता बढ़ेगी, बल्कि ग्रामीण रोजगार भी सृजित होगा। भविष्य में एग्री-टूरिज्म को जोड़कर कृषि को पर्यटन से जोड़ा जा सकता है, जहां पर्यटक जैविक फार्म्स पर रहकर पारंपरिक खेती का अनुभव प्राप्त करें। उदाहरण के तौर पर, नागौर का मेला जैसी सांस्कृतिक घटनाओं को कृषि प्रदर्शनियों से जोड़ें, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो।

उद्योग क्षेत्र में राजस्थान की अपार संभावनाएं हैं, जो अभी तक पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हुई हैं। दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC) के तहत जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा और नीमराना जैसे क्षेत्र प्रमुख हब बन सकते हैं। टेक्सटाइल, सीमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटोमोबाइल और रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश आकर्षित करने की क्षमता यहां है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति 2024 को और उदार बनाकर एकल खिड़की प्रणाली को पूरी तरह लागू करें, ताकि निवेशक बिना झंझट के काम शुरू कर सकें। स्टार्टअप इंडिया से जुड़कर युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए इंक्यूबेटर सेंटर स्थापित करें। कोटा को शिक्षा हब के साथ-साथ आईटी हब और जोधपुर को एयरोस्पेस तथा आईटी केंद्र के रूप में विकसित करें, जहां सॉफ्टवेयर पार्क, डेटा सेंटर और इनोवेशन लैब हों। विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) बनाकर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) को प्रोत्साहित करें। इससे लाखों रोजगार सृजित होंगे और प्रवासी राजस्थानी उद्योगपति जैसे–लक्ष्मी मित्तल, कुमार मंगलम बिड़ला और अजीम प्रेमजी जैसे नामों को वापस लौटने का अवसर मिलेगा। हाल की निवेश समिट में 5 लाख करोड़ के प्रस्ताव इसी दिशा के संकेत हैं।

पर्यटन राजस्थान की सबसे बड़ी पूंजी है, जो राज्य की पहचान है। जयपुर का हवा महल, उदयपुर की झीलें, जोधपुर का मेहरानगढ़ किला और जैसलमेर की सुनहरी रेत विश्व प्रसिद्ध हैं। लेकिन सही राह इको-टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म और सस्टेनेबल टूरिज्म में निहित है। हेरिटेज वॉक, डेजर्ट सफारी, विलेज टूर और फोक आर्ट वर्कशॉप को डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे ऐप और वर्चुअल रियलिटी से जोड़ें।

पर्यटन राजस्थान की सबसे बड़ी पूंजी है, जो राज्य की पहचान है। जयपुर का हवा महल, उदयपुर की झीलें, जोधपुर का मेहरानगढ़ किला और जैसलमेर की सुनहरी रेत विश्व प्रसिद्ध हैं। लेकिन सही राह इको-टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म और सस्टेनेबल टूरिज्म में निहित है। हेरिटेज वॉक, डेजर्ट सफारी, विलेज टूर और फोक आर्ट वर्कशॉप को डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे ऐप और वर्चुअल रियलिटी से जोड़ें। रामदेवरा, सालासर, देशनोक और बीकानेर के धार्मिक स्थलों को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करें। सर्किट टूरिज्म विकसित करें, जहां रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का और केवलादेव नेशनल पार्क को सस्टेनेबल टूरिज्म हब बनाएं। उड़ान योजना के तहत एयरपोर्ट्स का विस्तार करें, ताकि जयपुर, उदयपुर और जोधपुर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के केंद्र बनें। इससे पर्यटन से सालाना 2 लाख करोड़ रुपये की आय संभव है। साथ ही, स्थानीय कारीगरों को जोड़कर हस्तशिल्प, ब्लू पॉटरी और मोतीकारी जैसे उत्पादों का निर्यात बढ़ाएं। कोविड के बाद पर्यटन में आई तेजी को बनाए रखने के लिए हेल्थ टूरिज्म और वेलनेस रिट्रीट भी विकसित करें।

नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान पहले से ही अग्रणी है। फालका और भादला सोलर पार्क विश्व के सबसे बड़े सोलर पार्कों में शुमार हैं, जो 2000 मेगावाट से अधिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। 2047 तक 1 लाख मेगावाट सोलर और विंड एनर्जी का लक्ष्य निर्धारित करें। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स शुरू करके यूरोप और अमेरिका को निर्यात कर मुद्रा अर्जित करें। थार रेगिस्तान की सूर्यप्रकाश और हवा की अपार क्षमता का उपयोग कर राज्य को सनसाइन स्टेट से ग्रीन स्टेट में परिवर्तित करें। कार्बन न्यूट्रल गांव बनाकर जलवायु परिवर्तन से लड़ाई लड़ें। रिन्यूएबल एनर्जी से न केवल ऊर्जा सुरक्षा मिलेगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार भी सृजित होंगे।

शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश भविष्य की कुंजी है। प्रत्येक स्कूल को स्मार्ट क्लासरूम से लैस करके 100 प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करें। लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप, हॉस्टल और साइकिल वितरण योजनाएं चलाएं। आईआईटी जोधपुर, आईआईएम उदयपुर, एनआईटी जयपुर जैसे संस्थानों को मजबूत करें तथा नए आईआईटी और मेडिकल कॉलेज स्थापित करें। स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना को विस्तार दें, ताकि जीवन प्रत्याशा 77 वर्ष पहुंचे। टेलीमेडिसिन और मोबाइल हेल्थ वैन से दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों को कवर करें। महिलाओं की 60 प्रतिशत कार्यबल भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु कौशल विकास केंद्र खोलें, जहां डिजिटल लिटरेसी, नर्सिंग और आईटी कोर्स चलें।

स्मार्ट शहरीकरण राज्य के विकास का आधार बनेगा। जयपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में पूर्ण विकसित करें, जहां मेट्रो विस्तार, इलेक्ट्रिक बसें, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट और स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम हों। नई राजधानी के रूप में फलोदी या डूंगरपुर जैसे केंद्रीय स्थानों पर विचार करें, ताकि विकास संतुलित हो। ग्रामीण क्षेत्रों में 5जी नेटवर्क बिछाकर डिजिटल इंडिया को मजबूत करें। डिजिटल गवर्नेंस से भ्रष्टाचार रोके तथा ई-ग्राम पंचायत से पारदर्शिता लाएं। पीएम गति शक्ति योजना से हाईवे, रेल और एक्सप्रेसवे का जाल बिछाएं।

युवाओं को विकास का केंद्र बनाएं। स्किल इंडिया के तहत 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करें। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित कर ओलंपिक स्तर के खिलाड़ी तैयार करें। स्टार्टअप फंडिंग और मेंटरशिप से उद्यमिता को बढ़ावा दें। पर्यावरण संरक्षण के बिना विकास अधूरा है। अरावली पहाड़ियों को बचाएं, थार को ग्रीन जोन बनाएं तथा वन कवर को 20 प्रतिशत तक ले जाएं। वन्यजीव संरक्षण से बाघ, शेर और ब्लैकबक की संख्या बढ़ाएं। जलवायु अनुकूल फसलें उगाकर मरुस्थलीकरण रोके।

सामाजिक सशक्तीकरण से सबका विकास सुनिश्चित करें। एससी/एसटी/ओबीसी को आरक्षण के साथ-साथ कौशल प्रशिक्षण दें। महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजनाएं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को मजबूत करें। गरीबी उन्मूलन हेतु डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को पारदर्शी बनाएं। बजट 2025-26 में विकास पर फोकस रखें तथा वित्तीय अनुशासन बनाए रखें।

भविष्य का राजस्थान समृद्ध, हरा-भरा और समावेशी होगा। सही राह पर चलकर 2047 तक हम विश्व गुरु भारत का अभिन्न अंग बनेंगे। युवा ऊर्जा, सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर एकजुट होकर इस सपने को साकार करें। यह न केवल आर्थिक उन्नति लाएगा, बल्कि राजस्थान को नई पहचान देगा रेगिस्तान से उभरता नया राजस्थान, जो विश्व को प्रेरित करेगा।

–अतिथि संपादक,
अविनाश जोशी,
वरिष्ठ पत्रकार एवं कॉरपोरेट सलाहकार

जब सुरक्षा कवच ही बन जाए हथियार-तब जवाबदेह कौन?

सुनील दत्त गोयल

किसी भी सभ्य समाज में सुरक्षा का मतलब यह नहीं होता कि इंसान जवाबदेही से ऊपर हो जाए। सुरक्षा इसलिए दी जाती है ताकि व्यक्ति अपना कर्तव्य सही ढंग से निभा सके, न कि इसलिए कि वह कुछ भी करे और उस पर सवाल न उठे। लेकिन हकीकत यह है कि जैसे ही किसी को कोई विशेष आवरण मिल जाता है – चाहे वह ताकतवर गाड़ी हो, वर्दी हो, पद हो या कानून – कई बार उसके भीतर यह सोच घर कर जाती है कि अब उसे कोई रोक नहीं सकता। यहीं से दुरुपयोग की शुरुआत होती है। यह समस्या अचानक पैदा नहीं हुई है। यह धीरे-धीरे बनी है और आज खुलकर हमारे सामने खड़ी है।

आज सड़कों पर चल रही थार, स्कॉर्पियो, बोलेरो और इसी तरह की भारी गाड़ियाँ अब केवल वाहन नहीं रहीं। कई मामलों में वे ताकत दिखाने और दबदबा बनाने का जरिया बन चुकी हैं। इन गाड़ियों को खराब रास्तों, ग्रामीण इलाकों और कठिन परिस्थितियों के लिए डिज़ाइन किया गया था, न कि ट्रैफिक नियम तोड़ने या आम लोगों को डराने के लिए। लेकिन व्यवहार में तस्वीर उलटी दिखती है। इन गाड़ियों को चलाने के बाद कई लोगों को यह लगने लगता है कि वे बाकी लोगों से ज्यादा सुरक्षित हैं। नतीजा यह होता है कि ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, तेज रफ्तार, गलत ओवरटेक और सड़क पर आक्रामक व्यवहार आम हो जाता है। सोच यह बन जाती है कि मेरी गाड़ी मजबूत है, मुझे कुछ नहीं होगा; सामने वाले को नुकसान होगा तो बाद में देखा जाएगा। यही सोच सड़क हादसों की असली वजह है। यह केवल ड्राइविंग स्किल की कमी नहीं, बल्कि सुरक्षा के घमंड से पैदा हुई लापरवाही है। जब कोई इंसान खुद को अजेय समझने लगता है, तो वह दूसरों की जान, मान और सम्मान की कीमत भूल जाता है।

वर्दी और 'ऊपर होने' का एहसास

यही मानसिकता जब वर्दी के साथ जुड़ जाती है, तो मामला और भी गंभीर हो जाता है। डॉक्टर, पुलिस, नर्स, वकील, सुरक्षा गार्ड जैसे पेशों को समाज इसलिए सम्मान देता है ताकि वे बिना डर और दबाव के अपनी जिम्मेदारी निभा सकें। लेकिन कई जगह वर्दी सेवा का प्रतीक नहीं, बल्कि दबाव और रौब का माध्यम बनती जा रही है। थानों में आम आदमी डर के साथ खड़ा होता है, अस्पतालों में मरीज खुद को मजबूर महसूस करता है और सरकारी दफ्तरों में नागरिक को यह अहसास दिलाया जाता है कि वह किसी एहसान के भरोसे खड़ा है। वर्दी का मकसद भरोसा पैदा करना है, डर नहीं। जब वर्दी इंसान को संवेदनशील बनाने के बजाय उसे ऊपर होने का एहसास देने लगे, तो वही वर्दी लोकतंत्र के लिए खतरा बन जाती है।

इसी सोच का सबसे गंभीर और संवेदनशील रूप एस सी/एस टी अत्याचार निवारण कानून के संदर्भ में सामने आता है। यह कानून दलित और आदिवासी समाज को भेदभाव और अत्याचार से बचाने के लिए बनाया गया था। लेकिन आज यह सवाल उठ रहा है कि क्या इसका इस्तेमाल उसी भावना से हो रहा है, जिसके लिए इसे बनाया गया था। समय के साथ यह सच्चाई सामने आई है कि कुछ मामलों में इस कानून का इस्तेमाल न्याय के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत बदले, दबाव और डर पैदा करने के लिए किया जा रहा है। कई लोग पूरी जिंदगी यह कहते हुए आगे बढ़ते हैं कि वे पिछड़े वर्ग से हैं और इसी आधार पर उन्हें सरकारी नौकरी, प्रमोशन और अन्य सुविधाएँ मिलती हैं। लेकिन रिटायरमेंट बाद या किसी निजी विवाद में वही कानून एक हथियार बन जाता है। किसी बहस में कही गई बात, किसी झगड़े में फिसली हुई जुबान या किसी मतभेद में शब्दों की गलत व्याख्या – और सीधा मामला दर्ज हो जाता है। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें कई बार निर्दोष व्यक्ति वर्षों तक उलझा रहता है।

इस दुरुपयोग का असली नुकसान

इस तरह के मामलों का सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों को होता है जो वास्तव में अत्याचार के शिकार हैं। जब कानून का गलत इस्तेमाल बढ़ता है, तो समाज धीरे-धीरे हर मामले को शक की नजर से देखने लगता है। इससे असली पीड़ित की बात भी कमजोर पड़ने लगती है।इस स्थिति के तीन बड़े परिणाम सामने आते हैं।पहला, निर्दोष लोग बेवजह कानूनी झंझट में फंसते हैं। दूसरा, वास्तविक पीड़ितों को न्याय मिलने में देरी होती है।

तीसरा, कानून की साख और उस पर भरोसा कमजोर पड़ता है।जब कानून पर से भरोसा उठता है, तो पूरी न्याय व्यवस्था प्रभावित होती है।सुरक्षा कवच का मतलब ताकत नहीं, जिम्मेदारी होता है। इतिहास गवाह है कि जब सुरक्षा जवाबदेही से अलग हो जाती है, तब वह न्याय नहीं, बल्कि अन्याय का सबसे खतरनाक हथियार बन जाती है। एक मजबूत देश वही होता है जहाँ अधिकार और जिम्मेदारी साथ-साथ चलते हैं, और जहाँ कोई भी आवरण इंसान को कानून से ऊपर नहीं बनाता।

यह चिंता केवल समाज तक सीमित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कई बार एस सी/एस टी कानून के दुरुपयोग पर संतुलन बनाने की बात कह चुका है। अदालतों ने स्पष्ट किया है कि कानून का उद्देश्य सुरक्षा देना है, न कि किसी को बेवजह फंसाना।

इसी क्रम में एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश की यह टिप्पणी सामने आई थी कि मेरे बच्चे पिछड़े नहीं हैं, फिर भी वे आरक्षण के लिए पात्र हैं। यह बयान किसी व्यक्ति पर नहीं, बल्कि व्यवस्था की जटिलताओं और विरोधाभासों पर सीधा सवाल है।

हाल ही में मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने भी स्पष्ट कहा कि अनुसूचित जातियों को मिलने वाले आरक्षण में क्रीमी लेयर को बाहर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसे ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू है, वैसे ही यह सिद्धांत एस.सी. वर्ग में भी लागू होना चाहिए। उन्होंने डॉ. भीमराव आंबेडकर के संविधान दृष्टिकोण का हवाला देते हुए कहा कि संविधान कोई जड़ दस्तावेज़ नहीं, बल्कि समय और समाज की ज़रूरतों के साथ बदलने वाला जीवंत ढांचा है, जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर टिका है। उनका स्पष्ट कहना था कि एक आईएएस अधिकारी के बच्चों को गरीब खेत मजदूर के बच्चों के बराबर नहीं माना जा सकता।

एस सी/एस टी समुदाय की कृषि भूमि की बिक्री पर लगी रोक लगभग 50 वर्ष पुरानी है, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के दौर में लागू किया गया था। उस समय उद्देश्य स्पष्ट था – एस सी / एस टी समुदाय की जमीन को बाहरी शोषण से बचाना।

लेकिन आज, पांच दशक बाद, इस कानून का असर कई जगह उलटा दिखाई देता है। पिछले 20-25 वर्षों में ज़मीनी सच्चाई यह है कि एस सी / एस टी भूमि का सबसे बड़ा खरीदार कोई बाहरी नहीं, बल्कि उसी समाज का आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत वर्ग है। गरीब किसान मजबूरी में जमीन बेचता है, जबकि खरीदने वाला वह व्यक्ति होता है जो सरकारी नौकरी में है, सिस्टम को समझता है और कानून का फायदा उठाना जानता है। बाद में वही जमीन कन्वर्जन, प्लॉटिंग और मोटे मुनाफे का जरिया बन जाती है।

यह अब इक्का-दुक्का मामला नहीं रहा, बल्कि एक संगठित प्रवृत्ति बन चुकी है। सबसे दर्दनाक बात यह है कि इस शोषण में कोई बाहरी नहीं, बल्कि उसी समाज के लोग शामिल हैं, जिनके पास पैसा, पद और सत्ता है। यानी कानून गरीब एस सी/एस टी को बचाने के लिए बना था, लेकिन व्यवहार में वही कानून उसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचा रहा है।आज एस सी/एस टी समाज के भीतर भी साफ तौर पर दो वर्ग बन चुके हैं। एक छोटा वर्ग – आई ऐ एस , आई पी एस , प्रोफेसर, अफसर, बड़े कारोबारी और राजनीतिक रूप से जुड़े लोग। दूसरा बड़ा वर्ग – छोटे किसान, मजदूर और जमीन बेचने को मजबूर परिवार। पहला वर्ग कानून, आरक्षण और योजनाओं का पूरा लाभ उठाता है, जबकि दूसरा वर्ग आज भी कमजोर और असहाय बना हुआ है। यही क्रीमी लेयर की असली सच्चाई है।

एस सी/एस टी समाज के भीतर बढ़ती असमानता को लेकर यह बात अब केवल सामाजिक विमर्श तक सीमित नहीं रही है। स्वयं श्री किरोड़ी लाल मीणा जैसे वरिष्ठ नेताओं ने सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया है कि समझदार और जागरूक एस सी/एस टी वर्ग ने कानूनों और आरक्षण का लाभ उठाकर आर्थिक प्रगति कर ली है, जबकि समाज का बड़ा हिस्सा आज भी गरीब और पिछड़ा बना हुआ है। यह बयान इस सच्चाई की ओर इशारा करता है कि एस सी/एस टी समाज एक समान नहीं रहा और उसके भीतर भी एक संपन्न, शिक्षित और प्रभावशाली वर्ग उभर चुका है। जब यह स्वीकारोक्ति उसी समाज के प्रतिनिधि नेताओं की ओर से आती है, तो यह साफ हो जाता है कि क्रीमी लेयर की चर्चा किसी बाहरी एजेंडे का हिस्सा नहीं, बल्कि भीतर से उठी हुई चिंता है।

इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण का मकसद पिछड़ेपन को खत्म करना है, न कि उसे स्थायी बनाना।

जर्नैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता (2018) के फैसले में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एस सी/एस टी समुदाय एक समान नहीं है और उसमें भी क्रीमी लेयर मौजूद है। सभी को एक ही तराजू में तौलना असमानता को बढ़ाता है।

पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रोहिंटन नरीमन की टिप्पणी भी इसी ओर इशारा करती है कि अगर बराबरी आ चुकी है, तो उसी व्यक्ति को बार-बार लाभ देना संविधान की समानता की भावना के खिलाफ है। नए यूजीसी नियमों में भी यह विरोधाभास साफ दिखाई देता है कि आरक्षण का लाभ सामाजिक पिछड़ेपन से अधिक कैटेगरी सर्टिफिकेट पर निर्भर होता जा रहा है।

आज कई ऐसे प्रोफेसर, शोधकर्ता और अधिकारी हैं जिनकी पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में हुई, जिनके माता-पिता अधिकारी रहे और जिनके पास सामाजिक पूंजी है, फिर भी वे खुद को पिछड़ा साबित कर लेते हैं। वहीं उसी समाज का गरीब युवा आज भी वहीं खड़ा है, जहां वह दशकों पहले था। अमेरिका के सिविल राइट्स मूवमेंट ने यह सिखाया कि केवल कानून बना देना पर्याप्त नहीं होता। यह देखना भी जरूरी होता है कि कानून का फायदा वास्तव में किसे मिल रहा है और किसे नहीं। भारत में भी अब यही सवाल गंभीर रूप से उठ रहा है – क्या एस सी/एस टी कानूनों का लाभ वास्तव में कमजोर वर्ग तक पहुँच रहा है? अगर हम अमेरिका के सिविल राइट्स मूवमेंट को देखें, तो वहां भी हालात कुछ हद तक ऐसे ही थे। 1950-60 के दशक में अश्वेत नागरिकों के साथ खुले तौर पर भेदभाव होता था – शिक्षा, नौकरियों, बसों, स्कूलों और मतदान तक में। इसी अन्याय के खिलाफ एक लंबा और संगठित आंदोलन खड़ा हुआ, जिसकी अगुवाई मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे नेताओं ने की। इस आंदोलन का उद्देश्य सिर्फ अधिकार मांगना नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि कानून का फायदा वास्तव में पीड़ित और वंचित तक पहुँचे।

इस आंदोलन के बाद अमेरिका में सिविल राइट्स एक्ट (1964) और वोटिंग राइट्स एक्ट (1965) जैसे कानून बने, जिनसे भेदभाव को कानूनी रूप से रोका गया। लेकिन कुछ वर्षों बाद वहां भी यह सवाल उठा कि क्या इन कानूनों और एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज का लाभ सच में सबसे कमजोर वर्ग तक पहुँच रहा है, या फिर वही लाभ एक सीमित, संपन्न और शिक्षित वर्ग तक सिमटकर रह गया है। इसी आत्ममंथन के बाद अमेरिका में पॉलिसी रिव्यु, इनकम बेस्ड फिल्टर्स और पीरिऑडिक इवैल्यूएशन जैसी व्यवस्थाएँ लाई गईं, ताकि कानून स्थायी विशेषाधिकार न बन जाए, बल्कि वास्तविक समानता का साधन बना रहे।

भारत के लिए भी यही सबसे बड़ी सीख है। केवल कानून बना देना काफी नहीं होता। यह लगातार देखना जरूरी होता है कि कानून का लाभ किसे मिल रहा है और किसे नहीं। अगर किसी कानून से उसी वर्ग के भीतर नया असंतुलन पैदा हो रहा है, तो उस पर सवाल उठाना कानून-विरोध नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय को ज़िंदा रखने की कोशिश होती है।

सरकार से विनम्र लेकिन स्पष्ट अपील है कि लगभग 50 साल पुराने एस सी/एस टी भूमि कानून की गंभीर समीक्षा की जाए। गरीब एस सी/एस टी परिवारों को अपनी जमीन बेचने की वास्तविक आज़ादी मिले, क्रीमी लेयर की स्पष्ट पहचान की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि उसी समाज का ताकतवर वर्ग गरीबों का शोषण न कर सके। यह किसी के अधिकार छीनने की नहीं, बल्कि गरीब एस सी/एस टी के साथ न्याय की बात है।

–रोटेरियन सुनील दत्त गोयल,
महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री

डिजिटल युग में सूचना और शिक्षा के प्रसार में रेडियो की भूमिका

राजेन्द्र जोशी

डिजिटल युग में सूचना और शिक्षा के प्रसार में रेडियो की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और स्पष्ट है। डिजिटल शिक्षा का लाभ, प्रौद्योगिकी का उपयोग समानता के सरोकारों को पर्याप्त रूप से संबोधित किया जाना चाहिए। प्रभावशाली प्रशिक्षण के लिए शिक्षकों को और अन्य अनुदेशकों को चयनित कर पहले से ही पारंपरिक कक्षाओं के लिए एक अच्छे रेडियो शिक्षक का चयन कर कक्षा रूपी रेडियो में अध्यापन कार्य किया जा सकता है। प्रभावशाली दूर दराज में कक्षाएं, साक्षरता अभियान और शैक्षणिक सुधार के लिए कारगर हुई है ,बल्कि कला, साहित्य और संस्कृति का प्रचार-प्रसार , सूचना-प्रसारण का एक सस्ता सुलभ और शक्तिशाली माध्यम वर्तमान डिजिटल युग में रेडियो की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है।

इंटरनेट के उपयोग को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन भारत जैसे दूर-दराज के क्षेत्र में आज भी बिजली और इंटरनेट सेवा का पहुंचना दुर्लभ प्रतीत होता हैं। परंतु रेडियो की उपलब्धता दुनिया भर में बनी हुई है।

रेडियो छात्रों के ज्ञान को बढ़ाकर, श्रोताओं को समय और स्थान के पार ले जाकर, वर्तमान घटनाओं से त्वरित अवगत कराते हुए मूल्यों और कल्पनाशीलता को विकसित करके और दृष्टिबाधित और धीमी गति से सीखने वाले छात्रों की सहायता करके शिक्षा को लाभ पहुंचाता है।

डिजिटल युग में भी रेडियो शिक्षा और सूचना प्रसार का एक सस्ता, सुलभ और शक्तिशाली माध्यम बना हुआ है। यह दूरदराज के ठाामीण क्षेत्रों, वंचित बच्चों और इंटरनेट रहित इलाकों तक शिक्षा और महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाता है। सामुदायिक रेडियो के माध्यम से यह स्थानीय भाषा में शिक्षा, समाचार और जागरूकता कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है।

डिजिटल युग में रेडियो की प्रमुख भूमिकाएं: सुदूर और वंचित क्षेत्रों में रेडियो दुर्गम और ग्रामीण इलाकों में, जहाँ इंटरनेट की पहुँच कम है, वहाँ शिक्षा के प्रसार में बहुत सहायक है।

यह सीखने का सबसे सस्ता माध्यम है, जिससे बड़ी संख्या में छात्र लाभान्वित हो सकते हैं। दूरस्थ शिक्षा, महामारी या किसी संकट के दौरान, रेडियो घर बैठे शिक्षा का एक प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। सामुदायिक रेडियो, स्थानीय मुद्दों, जैसे खेती की जानकारी, स्वास्थ्य, और महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ी जानकारी फैलाने में इसका बड़ा योगदान है।

डिजिटल एकीकरण, अब रेडियो केवल पारंपरिक नहीं है, बल्कि यह ऐप (जैसे) और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़कर 'रेडियो-टेक्स्ट' जैसे प्रयोगों के साथ नई तकनीक को अपना रहा है। यह भी सच है कि रेडियो ने आधुनिक समय में भी अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखा है और यह शिक्षा के लोकतंत्रीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रेडियो दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाली आबादी तक कम लागत में शिक्षा पहुंचाता है रेडियो ने विश्व भर में वंचित ग्रामीण शिक्षार्थियों तक शिक्षा पहुंचाने में अपनी उत्कृष्ट क्षमता साबित की है। इस बात के व्यापक और पुख्ता प्रमाण मौजूद हैं ।

रेडियो के शैक्षिक प्रसारणों ने औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के अलावा दूर शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान किया है।

भारतीय रेडियो के बदलते परिदृश्य का अन्वेषण करें तो एफएम से लेकर पॉडकास्ट, सामुदायिक स्टेशनों और डिजिटल विभाजन को पाटने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका तक रेडियो का शानदार उपयोग हुआ है। डिजिटल तकनीकें एक शक्तिशाली साधन हैं जो शिक्षा को कई तरह से बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं, जैसे कि शिक्षकों के लिए शिक्षण सामग्री तैयार करना, आसान बनाना और लोगों को सीखने और सहयोग करने के नए तरीके प्रदान करना।

प्रसारण: शैक्षिक रेडियो, इसका इतिहास और साक्षरता तथा शैक्षिक प्रौद्योगिकी पर यह तर्क दिया जा सकता है कि टेलीविजन और इंटरनेट जैसी अन्य तकनीकों को शिक्षा में शामिल करने का तरीका रेडियो द्वारा पहले से तैयार किए गए ढांचे पर आधारित था।

शिक्षा में जनसंचार माध्यमों की भूमिका: रेडियो, टीवी और फिल्में सीखने की ...

आज के डिजिटल युग में, शिक्षा अब कक्षाओं की चारदीवारी तक सीमित नहीं रह गई है। रेडियो, टीवी, फिल्में और समाचार पत्र जैसे जनसंचार माध्यम ज्ञान प्राप्ति का अभिन्न अंग बन गए हैं। शिक्षा में जनसंचार माध्यमों में सामुदायिक रेडियो प्रसारण की प्रासंगिकता कम नहीं हुई है। हालांकि इंटरनेट युग में, द्रुतगामी संचार साधन के रूप में मोबाईल फोन का प्रचलन तेजी से बढ़ा है। यह प्रचलन, सामुदायिक रेडियो की लोकप्रियता को भी प्रभावित कर रहा है। अध्ययन के मुताबिक भारत में इंटरनेट क्रांति के दौर में सामुदायिक रेडियो प्रसारण की प्रासंगितकता बरकरार है।

रेडियो 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण जनसंचार माध्यमों में से एक है और आज भी सूचना, मनोरंजन और शिक्षा के प्रसार के लिए मौजूद है। जनसंचार माध्यमों के एक भाग के रूप में। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा प्रौद्योगिकी का न्याय संबंध उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है लेकिन अगर इस पर हम विचार करें तो दूर दराज के क्षेत्र में रेडियो की उपलब्धता और सबसे सस्ते माध्यम के रूप में डिजिटल प्रौद्योगिकी के उद्भव और स्कूल से लेकर उच्चतर शिक्षा तक सभी स्थानों पर शिक्षण अधिगम के लिए रेडियो का महत्व देखते हुए यह पहल की जानी चाहिए।

डिजिटल इंफ्रास्